

12/12/22

बकील अपीलॉट उपाय पुडरण का अवलोकन करने से
स्पष्ट है कि रेसपोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी

के सम्बन्ध न्यायालय संख्या 63 व 64 दिनांक 10/2/85
को निरस्त कराने बाबत राजस्थान भू राजस्व अधि-
नियम की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत की गई। उक्त
अपील के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
आदेश दिनांक 16/01/20 के विरुद्ध अपीलेंट द्वारा उक्त
अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलेंट द्वारा उक्त अपील
न्यायालय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत
की गई है। उक्त अपील ^{के अन्तर्गत} राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 75 के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई का
क्षेत्राधिकार संगमणीय आयुक्त को होने के फलस्वरूप
अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने से धारिण की जाती
है। पत्रावली क्रम संख्या सुनवाई होने बाद आवरण कार्यवाही
दृष्टिगत रहती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली